

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:-प. 12(6)साप्र/2/2023

जयपुर, दिनांक: 10.08.2023

- : आदेश :-

राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी घोषणा के तहत राज्य के 09 जिलों (अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जालौर, नागौर, सवाई माधोपुर एवं टोंक) में नगरीय निकायों के 10 सदस्यों के रिक्त पदों पर उप चुनाव माह अगस्त, 2023 में करवाये जा रहें है (प्रति सलंगन)। उक्त नगरीय निकायों में मतदान दिनांक 20.08.2023 (रविवार) को होगा। अतः मतदान दिवस दिनांक 20.08.2023 (रविवार) को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

साथ ही पुनर्मतदान की स्थिति में भी जहां पुनर्मतदान होगा उस मतदान क्षेत्र/क्षेत्रों में पुनर्मतदान की तिथि को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने हेतु भी संबंधित जिला कलक्टर, (जिला निर्वाचन अधिकारी) को अधिकृत किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(शैली किशनानी)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव (जीजी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण, राजस्थान जयपुर।
10. मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 2645 दिनांक 25.07.2023 के क्रम में।
11. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव /विशिष्ट शासन सचिवगण।
12. संम्भागीय आयुक्त अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर।
13. जिला कलक्टर अजमेर, बांसवाडा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जालौर, नागौर, सवाई माधोपुर एवं टोंक।
14. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।

विशिष्ट शासन सचिव
Signature valid

Digitally signed by Shaily Kishnani
Designation: Special Secretary To
Government
Date: 2023.08.10 16:39:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4469979



राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2023/2645

दिनांक:- 25/07/23

प्रमुख शासन सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
सचिवालय, जयपुर।

विषय :- नगरीय निकायों के उपचुनाव माह अगस्त, 2023 – मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने बाबत।


महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के 10 जिलों में नगरीय निकायों के 11 सदस्यों एवं 01 सभापति के रिक्त पद पर उपचुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की लोकसूचना दिनांक 04.08.2023 को जारी होगी एवं मतदान दिनांक 20.08.2023 को होगा। रिक्त पदों की सूची एवं उपचुनाव हेतु कार्यक्रम पत्र के साथ संलग्न है।

अतः मतदान दिवस दिनांक 20.08.2023 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवावें। यदि कहीं किसी कारण से पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो पुनर्मतदान दिवस पर भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करवाने का कष्ट करावें।

संलग्न :- रिक्त पदों की सूची एवं चुनाव कार्यक्रम।

भवदीय,



(नारायण सिंह)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2023/2646

दिनांक:- 25/7/23

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, अलवर, बांसवाडा, भरतपुर, बून्दी, चित्तौड़गढ़, जालोर, नागौर, सवाई माधोपुर एवं टोंक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



(पिंकी शर्मा)

सहायक सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
नगरीय निकाय सदस्यों के उप चुनाव माह अगस्त, 2023 –
उप चुनाव कार्यक्रम

➤ सदस्य पद के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	04.08.2023 (शुक्रवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	08.08.2023 (मंगलवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक (दिनांक 06.08.2023 (रविवार) को छोड़कर)
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	10.08.2023 (गुरुवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	12.08.2023 (शनिवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	14.08.2023 (सोमवार)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	20.08.2023 (रविवार) प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	21.08.2023 (सोमवार) प्रातः 9.00 बजे से

➤ समापति के लिए

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	लोक सूचना जारी करने की तिथि	22.08.2023 (मंगलवार)
2.	नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	23.08.2023 (बुधवार) प्रातः 10.30 से अपराह्न 3.00 बजे तक
3.	नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	24.08.2023 (गुरुवार) प्रातः 10:30 बजे से
4.	अभ्यर्थिता वापिस लेने की तिथि	25.08.2023 (शुक्रवार) अपराह्न 3.00 बजे तक
5.	चुनाव चिन्हों का आवंटन	25.08.2023 (शुक्रवार) (अभ्यर्थिता वापिस लेने के समय समापति के तुरन्त पश्चात्)
6.	मतदान की तिथि एवं समय	28.08.2023 (सोमवार) प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक
7.	मतगणना की तिथि एवं समय	28.08.2023 (सोमवार) मतदान समापति के तुरन्त पश्चात्

143

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

नगरीय निकायों के उप चुनाव माह अगस्त, 2023 –
उप चुनाव हेतु रिक्त वार्डों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	क्र. सं.	नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड का विवरण	रिक्त अध्यक्षीय पद का विवरण
1.	अजमेर	1.	न.प. ब्यावर	33	—
2.	अलवर	2.	न.प. अलवर	20	सभापति
3.	बांसवाडा	3.	न.प. बांसवाडा	33	—
4.	भरतपुर	4.	न.नि. भरतपुर	55	—
5.	बून्दी	5.	न.पा. इन्द्रगढ	04	—
6.	चित्तौड़गढ़	6.	न.पा. बड़ीसादड़ी	07	—
7.	जालोर	7.	न.पा. भीनमाल	37	—
8.	नागौर	8.	न.पा. कुचेरा	18	—
		9.	न.पा. कुचामनसिटी	16	—
9.	सवाई माधोपुर	10.	न.प. सवाई माधोपुर	22	—
10.	टोंक	11.	न.पा. उनियारा	02	—

143